श्रीयुत हिमाचल कैमिकलज़ एवं सिलिकेट वर्कस, गांव व डाकघर बाथू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा बाथड़ी, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में तदादी 08-17-00 हैक्टेयर में सिलिका पत्थर, रेत, पत्थर व बजरी के खनन/संग्रह के लिए सिलिका बालू/बजरी की प्रोसेसिंग एवं उत्पादन के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को प्रातः 11:00 बजे **गांव व डाकघर बाथू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा बाथड़ी, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में रक्बा तदादी 08-17-00 हैक्टेयर में रेत, पत्थर व बजरी के खनन एवं संग्रह के** प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत उपप्रधान बाथड़ी व बाथू तथा साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते है। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के परामर्शदाता श्री सुभाष कुमार मैसर्ज़ ग्रास रूट रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इन जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री विपन कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	मैं यह जानना चाहता हूँ कि परियोजना के प्रबन्धक गांव में क्या-2 विकास के कार्य करेंगें।	परियोजना के प्रतिनिधि ने कहा कि वह गांव के स्कूल में पुस्तकें आदि वितरित करेंगे व मुफ्त चिकित्सा केंप लगवायेंगे। गांव बाथू व बाथड़ी के सांझे कार्यों के लिए मुफ्त रेत बजरी उपलब्ध करवायेंगे। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने सुझाव दिया कि इन्दिरा आवास योजना के मकानों के लिए मुफ्त बजरी रेत दें तथा पौधारोपण आदि के लिए दर्शाए गये बजट को बढाया जाए। परियोजना के प्रतिनिधि ने कहा कि वह इन्दिरा आवास के लोगों को भी मुफत रेत बजरी उपलब्ध करवायेंगे

			तथा पौधारोपण आदि के लिए दर्शायें गये बजट को भी तीन गुणा कर देगें ।
2.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री बनारसी दास गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	जल्दी से जल्दी पर्यावरण स्वीकृति दी जाये तथा हमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाये तथा स्थानीय गाड़ियों को काम पर लगाया जाये ।	परियोजना के प्रतिनिधि कहा कि जो भी गाड़ियां ट्रैक्टर आदि लगेगें वह स्थानीय लोगों के ही होगें तथा रोजगार में भी स्थानीय लोगों का प्राथमिकता दी जायेगी। गुडस टैक्स देने वाले ट्रैक्टर ही कार्य में लगाए जायेगें ।
3.	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री चौकस राम गांव व डाक. बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	गाड़ियों के चलने से खनन क्षेत्र के रास्ते पर उसके लिए क्या प्रबन्ध किये जायेगें ।	इन सड़कों पर टैंकर से पानी छिड़काव किया जायेगा ताकि धूल आदि न उड़े ।
4.	श्री कुलविन्द्र सिंह उप प्रधान बाथू पंचायत तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	परियोजना को स्वीकृति जल्दी से जल्दी दी जाये ताकि हमारे विकास कार्य सूचारू रूप से चल सकें।	.....

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

(श्री राजेश सारिया)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला ऊना (हि.प्र.)